[2013] 12

गुलाम सरबर

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 1316 आदि)

7 अक्टूबर, 2013

डॉ. बी.एस.चौहान एवं श्री एस.ए. बोबडे, न्यायाधीश

दंड संहिता, 1860:

आपराधिक साजिश के साथ की गई हत्या- दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा- उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार:

जिस तरह से अपराध किया गया था, वह इंगित करता है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी- आंख के बयान में कोई भौतिक विरोधाभास, अलंकरण या सुधार नहीं था। गवाह-उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की फिर से सराहना की और तथ्य के निष्कर्षों को बरकरार रखा · ट्रायल कोर्ट द्वारा अभिलिखित किया गया कि नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप था और यह साजिश का एक स्पष्ट मामला था - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं।

क्रिमिनल षडयंत्र- घटक को समझा गया।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134- साक्ष्य के मूल्यांकन के मामले में गवाहों की संख्या- अभिनिर्धारित किया गयाः गवाहों की संख्या नहीं, बल्कि उनके साक्ष्य की गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी तथ्य को साबित करने/ गलत साबित करने के लिए साक्ष्य के कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि गवाहों की विशेष संख्या का परीक्षण किया जाए। - दोषसिद्धि एकमात्र गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है- परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सत्य का घेरा है, ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
[2013] 12

प्रमाणः

गिरफ्तारी- अपराध में उपयोग किए गए वाहनों की बरामदगी- गिरफ्तारी ज्ञापन का गवाह और उन वाहनों की बरामदगी का पंच गवाह जिनकी जांच नहीं की गई- रोकी गई; अन्वेषक अधिकारी के समक्ष ऐसा मुद्दा रखे जाने के अभाव में, अपीलार्थी विचारण के संचालन में अभियोजन द्वारा ऐसी चूक या त्रुटि का कोई लाभ नहीं ले सकते हैं- यदि अभियोजन पक्ष ने पंचनामा गवाह और गिरफ्तारी ज्ञापन के गवाहों की जांच नहीं की थी, तो अपीलार्थी अपने बचाव में उनकी जांच कर सकते थे।

अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश के साथ हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 6.9.1996 को लगभग रात्रि 8 बजे, जब मुखबिर/ शिकायतकर्ता मृतक के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो अपीलार्थियों सहित छह व्यक्तियों ने उन्हें रोक दिया और अपीलार्थी और अभियुक्त ने मृतक की ओर अपनी पिस्तौल की इशारा करते हुए उससे पूछा कि वह आरोपी के संस्थान के कामकाज को क्यों बाधित कर रहा है। विवाद के दौरान आरोपी ने मृतक को चाकू मार दिया और अपने साथियों से उस कार्य को पूरा करने के लिए कहा जिसके लिए वे आए थे। आरोपी ने मृतक पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। निचली अदालत ने दोनों अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 120- बी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। तत्काल अपीलों में, अपीलार्थियों के लिए यह तर्क दिया गया था कि मृतक को मारने की साजिश के अस्तित्व को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था और अपीलार्थियों में से कोई भी संस्थान के मामलों में शामिल नहीं था, जिसके लिए मृतक और आरोपी के बीच विवाद था; और न तो अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के ज्ञापन के गवाहों और न ही मोटरसाइकिल और स्कूटर की बरामदगी के पंच गवाहों से पूछताछ की गई थी।

गुलाम सरबर

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय
ने कहाः आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व हैं

(i) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता।

(ii) एक अवैध कार्य समझौता या तो करने या करने के लिए प्रेरित करने से संबंधित होना चाहिए या एक ऐसा कार्य जो अपने आप में अवैध नहीं है, लेकिन अवैध माध्यमों से किया जाता है। इसलिए, जो आवश्यक है, वह यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मन के सामंजस्य को एक अवैध कार्य या अवैध माध्यमों से एक कार्य करने या करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिखाया जाए। अभियुक्त के मन में अपराध का केवल ज्ञान या चर्चा या सृजन, अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। षड्यंत्र के अपराध का सार तब निहित होता है, न कि उस कार्य को करने में, या उस उद्देश्य को प्रभावित करने में जिसके लिए षड्यंत्र बनाया गया है, और न ही पक्षों के बीच उन्हें करने का प्रयास करने में। समझौता जरूरी है। अपराध दिमाग के सामंजस्य के साथ होता है, भले ही आगे कुछ नहीं किया जाता है। यह अन्य अपराधों से स्वतंत्र एक अपराध है और अलग से दंडनीय है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष को उन्हीं कानूनी सिद्धांतों को लागू करके अपराध को स्थापित करने की आवश्यकता है जो किसी अभियुक्त की ओर से आपराधिक कदाचार साबित करने के उद्देश्य से लागू होते हैं। आपराधिक षड्यंत्र आम तौर पर गोपनीयता में रचा जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना या उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके या आवश्यक निहितार्थ द्वारा साबित किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र बनाने के लिए मन के सामंजस्य को उन मामलों में ठोस एफ साक्ष्य को जोड़कर साबित करना होगा जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य अधूरा या अस्पष्ट है।

केहर सिंह और अन्य v. राज्य (दिल्ली प्रशासन)
1988 (2) अनुपूरक एस. सी. आर. 24 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1883;
राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू @अफसान गुरु 2005 (2) पूरक। एससीआर 79 = एआईआर 2005 एससी 3820;
मीर नागवी अस्करी बनाम सीबीआई,
2009 (13) एससीआर 124 = एआईआर 2010 एससीआर 528;
बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य,
2009 (7) एससीआर 855 = (2009) 6 एससीसी 564;

मप्र राज्य बनाम शीला सहाय और अन्य।

2009(12) एससीआर 1048 = (2009) 8 एससीसी 617;

आर. वेंकटकृष्णन बनाम सीबीआई, 2009 (12) एससीआर 762 = एआईआर 2010 एससी 1812; और एस. अरुल राजा बनाम स्टेट ऑफ टी. एन.,
2010 (9) एससीआर 356 = (2010) 8 एससीसी 233;
मोहम्मद अमीन @ अमीन चोटेली रहीम मियां शेख और अन्न बनाम. 2008 (16) एससीआर 155 = सीबीआई (2008) 15 एस सी सी 49;
विक्रम सिंह और अन्य।
पंजाब राज्य, 2010 (2) एससीआर 22 = एआईआर 2010 एससी 1007-संदर्भित।

अभिलेखों पर अभिलेख और, विशेष रूप से, PW7 का बयान स्पष्ट रूप से उस तरीके से कथानक को दर्शाता है जिसमें अपीलकर्ता और अन्य सांस्कृतिक घटनाओं के स्थान शामिल थे। मान, अर्थशास्त्री और मृत व्यक्ति के बीच प्रतिद्वंदिता और दुर्भावना थी क्योंकि उन्होंने उद्यम संस्थान के संचालन के अपने व्यवसाय को अलग कर दिया था और मृत व्यक्ति को संस्थान में अर्थशास्त्री और एक क्लर्क के बीच अवैध संबंध पसंद नहीं थे, इस तथ्य का खुलासा बीके की पत्नी ने किया डी को भी किया, जिसने अलग शौक शुरू किया था। इसलिए 'बी. के.' और मृतक के बीच संबंध कलाकार हो गए थे। अपीलार्थी और अन्य कलाकार दोनों अज्ञात थे। 'बी. के.' भी। मृतक और ई भी PW7 के लिए जाना जाता था

अपीलार्थियों और अन्य वैज्ञानिकों के नाम पर पासपोर्ट बनाए गए थे। अपराध में प्रयुक्त गद्दारों को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया। ज़ैकी प्रमाणन तैयार किया गया था जिस पर उक्त कथन में दोनों पंच गवाहों ने अपने हस्ताक्षर किये थे। इसका अवलोकन 6-1 के रूप में पीडब्लू8 द्वारा किया गया था, जिसे जांच अधिकारी ने साबित किया था। अपीलार्थी 'जीएस' और 'डी' की गिरवी पीडब्लू-8 द्वारा सिद्ध की गई थी। जहां तक इस दस्तावेज़ का संबंध है कि न तो अपीलार्थियों में से किसी के आपराधिक साक्ष्य के गवाह और न ही अपराध में शामिल अभियुक्त और मोटर साइकिल की बरामदगी के पंच गवाहों के अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की गई है, जांच अधिकारी [पीडब्ल्यूडी-8] ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था और इसलिए, अपीलार्थी आर्किटेक्चर के संचालन में अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी त्रुटि या त्रुटि का कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 9,11-12] [14-जी-एच; 15-ए; 16-ए-बी, सी-डी]

गुलाम सरबर

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

लक्ष्मीबाई (मृत) माध्यम से एल आर और अन्य बनाम भगवंतबुवा (मृत) माध्यम से एल आर और अन्य, 2013 (1) एससीआर 632 = एआईआर 2013 एससी 1204; रविंदर कुमार शर्मा बनाम असम राज्य और अन्य, 1999 (2) सप्लीमेंट। एससीआर 339 = एआईआर 1999 एससी 3571; घसीटा साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2008 (2) एससीआर 95 = एआईआर 2008 एससी 1425; रोहताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य, जेटी 2013 (8) एस सी 181; और ज्ञान चंद और अन्य v. हरियाणा राज्य, जेटी 2013 (10) एससी 515- निर्दिष्ट।

गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन के मामले में, यह गवाहों की संख्या नहीं है, बल्कि उनके साक्ष्य की गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्ष्य के कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी तथ्य को साबित करने/ गलत साबित करने के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों से पूछताछ की जाए। यह एक समय- सम्मानित सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सत्य का घेरा, ठोस और विश्वसनीय है या नहीं। कानूनी प्रणाली ने गवाहों की बहुलता के बजाय प्रत्येक गवाह द्वारा प्रदान किए गए मूल्य पर जोर दिया है। यह गुणवत्ता है और मात्रा नहीं है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा. 134 द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की पर्याप्तता को निर्धारित करती है। इस प्रकार दोषसिद्धि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर भी आधारित हो सकती है, यदि वही आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। यदि अभियोजन पक्ष ने पंचनामा के गवाहों और अपीलार्थियों के गिरफ्तारी ज्ञापनों के गवाहों से पूछताछ नहीं की होती, तो अपीलार्थी अपने बचाव में उनसे पूछताछ कर सकते थे।

वादिवेलु थेवर और अन्य बनाम मद्रास राज्य; 1957 एससीआर 981 = एआईआर 1957 एससी 614; कुंजू @बालचंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य, 2008 (1) एससीआर 781 = एआईआर 2008 एससी 1381; बिपिन जी कुमार मोंडा/ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2010 (8) एससीआर 1036 = एआईआर 2010 एससी 3638; महेश और अन्य । बनाम. मध्य प्रदेश राज्य 2011 (11) एससीआर 377 = (2011) 9 एससीसी 626; पृथ्वीपा/सिंह और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्य । 2012 (14) एससीआर 862 = (2012) 1 एससीसी 10; और किशन चंद बनाम हरियाणा राज्य ।

विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था क्योंकि मृतक ने अपने पारिवारिक जीवन के साथ-साथ अपने व्यवसाय में भी समस्याएं पैदा की थीं। जिस तरीके से अपराध किया गया था, वह इंगित करता है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। पीडब्लू7 के निक्षेपण में कोई भौतिक विरोधाभास, अलंकरण या सुधार नहीं था।

अभियोजन पक्ष ने अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और जिस तरीके से अपराध किया गया है वह अपराध को स्थापित करता है। षड्यंत्र अपीलार्थी अपने कथन यू/ एस 313 सीआरपीसी में जिन परिस्थितियों में वे घटना स्थल पर उपस्थित थे, उनका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके अलावा, जिस तरह से वे अपराध करने के बाद भाग गए, वह स्पष्ट रूप से साजिश रचने के अपराध में उनकी संलिप्तता का संकेत देता है। पीडब्लू- 7 की अपीलार्थियों में से किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है और इस तरह के जघन्य अपराध में उन्हें गलत तरीके से शामिल करने का कोई कारण नहीं था। निचली अदालत ने साक्ष्य की सराहना करने के बाद अपीलार्थियों की उपस्थिति के साथ-साथ घटना के स्थान पर पीडब्लू- 7 के बारे में तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज किया। पीडब्लू-7 ने आरोपी 'बीके' को घटना स्थल पर अन्य सभी आरोपियों को इकट्ठा करते देखा था।
[पैरा 16-17] [18-सी-एफ]

1. 7 उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यों के निष्कर्षों को यह कहते हुए बरकरार रखा कि नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप और अनुरूप था और यह साजिश का एक स्पष्ट मामला था। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अपीलार्थियों को फंसाने के लिए झूठी गवाही देने का कोई कारण नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नीचे दी गई अदालतों द्वारा दिए गए निष्कर्ष हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं। [पैरा 18-20]
एच [19-सी, ई-एफ]

गुलाम सरबर

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

मामला विधि संदर्भः

1988 (2) सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 24	पैरा 5
2005 (2) अनुपूरक को निर्दिष्ट	पैरा 5
2009 को निर्दिष्ट एस. सी. आर.. 124	पैरा 5
2009 (7) निर्दिष्ट एस. सी. आर. 855	पैरा 5
2009 को निर्दिष्ट एस. सी. आर. 1048 (12)	पैरा 5
2010 को निर्दिष्ट एस. सी. आर. 762	पैरा 5
2008 को संदर्भित (16)	पैरा 6
2010 को निर्दिष्ट एस. सी. आर. 155 (2)	पैरा 6
2013 को संदर्भित एस. सी. आर. 632	पैरा 13
1999 को संदर्भित (2) पूरक	पैरा 13
2008 को निर्दिष्ट एस. सी. आर. 339 (2)	पैरा 13
2013 को संदर्भित एस. सी. आर. 95 (8)	पैरा 13
2013 को निर्दिष्ट एस. सी. 181 (10)	पैरा 13
1957 को निर्दिष्ट एस. सी. आर. 981	पैरा 14
2008 को संदर्भित (1) एस. सी. आर. 781	पैरा 14
2010 को संदर्भित (8) 1036 (11)	पैरा 14
2011 को निर्दिष्ट एस. सी. आर. 377	पैरा 14
2012 को निर्दिष्ट एस. सी. आर. 862	पैरा 14
जे. टी. 2013 (1) को निर्दिष्ट एस. सी. 822	पैरा 14

आपराधिक निवेदन न्यायनिर्णयः

झारखंड उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील सं 2012 का 1316 के निर्णय और आदेश दिनांक 22.03.2012 से

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
(2013) 12

झारखंड उच्च न्यायालय रांची में आपराधिक अपील (डी/बी) नं 1998 का 273 (आर).
साथ

सीआरएल ए. नं. 2012 का 1967

अपीलार्थी की ओर से अमरेंद्र शरण, अवनीश सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, पवन कुमार रे।

प्रत्यर्थी की ओर से रतन कुमार चौधरी, कृष्णानंद पांडे, अमरेंद्र कुमार

न्यायालय का निर्णय डॉ. बी एस. चौहान द्वारा दिया गया था।

1. इन अपीलों को रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील (डीबी) सं. 22.3.2012 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्राथमिकता दी गई है। 1998 का 273 (आर) और 1998 का 262 (आर) क्रमशः 26.8.1998 और 31.8.1998 के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा की पुष्टि करते हुए तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा सत्र विचारण सं. 1997 का 112, जिसके द्वारा और जिसके अधीन, इन दोनों अपीलों में अपीलार्थी दोषी ठहराए गए। अन्य लोगों के साथ, विनोद कुमार, असगर मियां @असगर अंसारी, पाइकी राम @पोकी राम और मंटू दास को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के साथ पठित 120-बी (इसके बाद एफ को आईपीसी के रूप में संदर्भित किया गया) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

2. इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ ये हैं:

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, डॉ. गोपाल प्रसाद जी सिन्हा (पीडब्लू 7) सूचना देने वाला/ शिकायतकर्ता संत कुमार सिन्हा (मृतक) के साथ 6.9.1996 को लगभग 8.00 बजे. पर अपनी मोटरसाइकिल पर राजगंज, धनबाद जा रहा था। जब वे संत निरंकारी चौक के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और अपीलार्थियों सहित छह व्यक्ति पास में खड़े थे।

गुलाम सरबर
बिहार राज्य (अब झारखंड)
[डॉ. बी. एस. चौहान, न्यायाधीश.]

उन्होंने शिकायतकर्ता को रुकने का संकेत दिया। शिकायतकर्ता ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और पूछा कि वे इंतजार क्यों कर रहे थे। लेकिन कुछ ही समय में, अपीलार्थी याकूब अंसारी और धीरेन महतो ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल ली और उनकी ओर इशारा किया और पूछा कि संत कुमार सिन्हा (मृतक) बिनोद कुमार द्वारा संचालित संस्थान के कामकाज में बाधा क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने संत कुमार सिन्हा (मृतक) को संस्थान से दूर रहने की धमकी दी। संत कुमार सिन्हा (मृतक) ने अभियुक्त व्यक्तियों से पूछा कि वे संस्थान के मामलों को चलाने से कैसे संबंधित थे, जिसके कारण मृतक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

आरोपित असगर ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया और अपने साथियों से कहा कि वे जिस काम के लिए आये हैं उसे पूरा करें। तुरंत, याकूब ने संत कुमार सिन्हा (मृतक) की गर्दन के बाईं ओर अपनी रिवॉल्वर से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चला दी, जिससे मृतक गिर गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। सूचना देने वाला/ शिकायतकर्ता डरकर अपनी मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर मौके से भाग गया। वह एक पुलिस दल से मिला, जिसे उसने घटना के बारे में बताया। सूचना देने वाले के फरदबेयान के आधार पर, दोनों अपीलार्थियों सहित आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 /120- बी/ 379 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 (इसके बाद 'शस्त्र अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और प्राथमिकी सं. 1996 का 175 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस प्रकार, जांच उसी के अनुसार आगे बढ़ी।

जाँच के समापन के बाद, सभी अभियुक्तों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें याकूब उर्फ अयूब को भगोड़ा दिखाया गया था। तदनुसार, परीक्षण एश. टी . नं. 1997 का 112 शुरू हुआ। सह- आरोपी याकूब @अयूब को बाद में गिरफ्तार किया गया और एश टी नं. 1998 का 405.के माध्यम से अलग से मुकदमा चलाया गया।

अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों की जांच की, जिसमें मिथीलेश कुमार सिन्हा (पीडब्लू.1)- मृतक का असली भाई, अरविंद कुमार (PW.2)-मृतक का चचेरा भाई, डॉ धीरज (पीडब्लू 6) जिसने पोस्टमॉर्टम परीक्षा आयोजित की, डॉ गोपाल प्रसाद सिन्हा (पीडब्लू 7) मुखबिर/ शिकायतकर्ता और मृतक का भाई और जगदीश प्रसाद (पीडब्लू.8) जांच अधिकारी थे।

बचाव पक्ष ने तीन गवाहों से भी पूछताछ की। गुरप्रीत सिंह मित्तल (डीडब्ल्यू.1) की जांच केवल यह साबित करने के लिए की गई थी कि संत निरंकारी भवन में प्रासंगिक समय परलाइट नहीं थी, और आगे यह दिखाने के लिए कि निरंकारी चौक निरंकारी भवन से लगभग 200- 250 फीट की दूरी पर था। विजय कुमार सिंह (डीडब्ल्यू.2) और सुरेश दास (डीडब्ल्यू.3) केवल औपचारिक गवाह थे।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी गुलाम सरबर घटना के बाद याकूब की मोटरसाइकिल पर भाग गया। पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया और पुलिस बैरिकेड से कूदने के बाद उसे घटना स्थल से कुछ दूरी पर गिरफ्तार कर लिया गया।

इसी तरह, धीरेन महतो असगर मियां के साथ एलएमएल वेस्पा स्कूटर पर घटना स्थल से चले गए। जहाँ तक धीरेन महतो (अपीलार्थी) का संबंध है, उसे नया बाजार में उसकी उपस्थिति की गुप्त सूचना पर कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। छापे के समय, उक्त अपीलार्थी ने पुलिस को देखकर स्कूटर पर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पीछा किया गया और बारताड़ के पास उसे पकड़ लिया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपने बयान में (इसके बाद सीआरपीसी के रूप में संदर्भित) गुलाम सरबर ने बस अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया और घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति से इनकार किया। धीरेंद्र चंद्र महतो ने संत कुमार सिन्हा (मृतक) की हत्या में किसी भी तरह से अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि उनका मुख्य आरोपी विनोद कुमार से कोई लेना- देना नहीं है। वह एक छोटा ठेकेदार था, हालांकि, उसने घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति से इनकार नहीं किया और न ही वह असगर अंसारी को पीछे की सवारी के रूप में लेकर स्कूटर पर भाग गया था।

रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद, निचली अदालत ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 31.8.1998 को आईपीसी की धारा 302 और 120- बी के तहत दोनों अपीलार्थियों को दोषी ठहराया।

गुलाम सरबर
बनाम
बिहार राज्य (अब झारखंड)
[डॉ. बी. एस. चौहान, न्यायाधीश.]

अभियुक्त और सजा जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, धीरेंद्र चंद्र महतो को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप से बरी कर दिया।

उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरों के साथ अपीलों को प्राथमिकता दी, जो विवादित निर्णय और दिनांक 22.3.2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

इसलिए, ये अपीलें हैं।

3. गुलाम सरबर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अमरेंद्र शरण और धीरेन महतो की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अशोक के. सी. श्रीवास्तव ने कहा कि संत कुमार सिन्हा (मृतक) की हत्या की साजिश के अस्तित्व को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है. वास्तव में, वे दोनों संयुक्त रूप से एक संस्थान चला रहे थे और एक शिप्रा सेन चौधरी संस्थान में क्लर्क के रूप में काम कर रही थी, जिसके साथ विनोद कुमार (आरोपी) के अवैध संबंध विकसित हो गए, जो संत कुमार सिन्हा (मृतक) को पसंद नहीं आया, जिन्होंने विनोद कुमार (आरोपी) को उस संबंध को जारी नहीं रखने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। संत कुमार सिन्हा (मृतक) ने विनोद कुमार (आरोपी) की पत्नी को भी इस रिश्ते के बारे में बताया और उसी को लेकर शिप्रा सेन चौधरी और विनोद कुमार की पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इससे पहले, विनोद कुमार ने एक नया संस्थान खोला था और शिप्रा सेन चौधरी को इसका निदेशक बनाया था। हालाँकि, कोई भी याचिकाकर्ता पूरे प्रकरण में शामिल नहीं था। यहां तक कि घटना स्थल के पास के स्थान से गुलाम सरबर की गिरफ्तारी भी संदिग्ध है। अगर ऐसा होता, तो गुलाम सरबर की गिरफ्तारी के बाद एफ.आई.आर दर्ज की जाती, जिसमें ऐसे फैक्ट्स होते। यहां तक कि सामान्य डायरी में भी यह उल्लेख नहीं था कि पुलिस स्टेशन और उस स्थान के बीच की दूरी क्या थी जहाँ से अपीलार्थी गुलाम सरबर को गिरफ्तार किया गया था। जाँच ठीक से और निष्पक्ष रूप से नहीं की गई थी। गवाह, विशेष रूप से, मिथीलेश कुमार सिन्हा (पी.डब्ल्यू.1) और अरविंद कुमार (पी.डब्ल्यू.2) चश्मदीद के गवाह नहीं होने के चलते गवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी अपीलार्थी की गिरफ्तारी को साबित करने के लिए या मामले में मोटर साइकिल और स्कूटर की कथित बरामदगी को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला अटकलों और अनुमानों पर आधारित है, इसलिए अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए और निचली अदालतों के फैसले और आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री रतन कुमार चौधरी और श्री कृष्णानंद पांडे ने इन दोनों अपीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और दोनों आरोपी व्यक्ति मुख्य आरोपी विनोद कुमार से अच्छी तरह से परिचित थे और गवाहों द्वारा और विशेष रूप से डॉ गोपाल प्रसाद सिन्हा (पी.डब्ल्यू.7) द्वारा घटना से पहले आरोपी विनोद कुमार के स्वामित्व वाले संस्थान में देखा गया था। मौके पर उनकी उपस्थिति और जिस तरह से उन्होंने अपने वाहन खड़े किए थे और मोटरसाइकिल को रोका था जिस पर शिकायतकर्ता और मृतक यात्रा कर रहे थे, वह साजिश को साबित करने के लिए पर्याप्त है। किसी भी व्यक्तिगत अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन के मामले में कोई सुधार या अलंकरण नहीं है। साक्ष्य की नीचे की अदालतों द्वारा उचित रूप से सराहना की गई है और नेत्र साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई है। इस प्रकार, अपीलों में योग्यता की कमी होती है और इन्हें खारिज किया जा सकता है।

5. आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व हैं (i) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता; (ii) समझौता या तो करने या करने के लिए प्रेरित करने से संबंधित होना चाहिए (ए) एक अवैध कार्य; या (बी) एक ऐसा कार्य जो अपने आप में अवैध नहीं है, लेकिन अवैध माध्यमों से किया जाता है। इसलिए, जो आवश्यक है, वह यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मन की बैठक को एक अवैध कार्य या अवैध माध्यमों से एक कार्य करने या करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिखाया जाए। अभियुक्त के मन में अपराध का केवल ज्ञान या चर्चा या सृजन, अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अपराध मन का मिलन के साथ होता है, भले ही आगे कुछ नहीं किया जाता है। यह अन्य अपराधों से स्वतंत्र अपराध है और अलग से दंडनीय है। इस प्रकार, अभियोजन है

गुलाम सरदार
बनाम
बिहार राज्य (अब झारखंड)
[डॉ. बी. एस. चौहान, न्यायाधीश.]

समान कानूनी सिद्धांतों को लागू करके अपराध स्थापित करने की, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक कदाचार साबित करने के उद्देश्य से लागू होते हैं। आपराधिक षड्यंत्र आम तौर पर गोपनीयता में रचा जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना या उस तक पहुँचना मुश्किल होता है। अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके या आवश्यक निहितार्थ द्वारा साबित किया जा सकता है।

आपराधिक षड्यंत्र बनाने के लिए दिमाग लगा कर उन मामलों में ठोस सबूत पेश करके साबित करना होगा जहां परिस्थितिजन्य सबूत अधूरे या अस्पष्ट हैं। षड्यंत्र के अपराध का सार तब निहित होता है, न कि कार्य करने में, या उस उद्देश्य को प्रभावित करने में जिसके लिए षड्यंत्र बनाया गया है, और न ही पक्षकारों के बीच उन्हें करने का प्रयास करने में। समझौता जरूरी है। (सन्दर्भ: केहर सिंह और अन्य बनाम. राज्य (दिल्ली प्रशासन) ए आईआर 1988 एससी 1883; राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू @अफसान गुरु, एआईआर 2005 SC 3820; मीर नागवी अस्करी बनाम सीबीआई, एआईआर 2010 एससी 528; बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 6 एस सी सी 564; एमपी. बनाम. पत्रक/ एक सहाय और अन्य, (2009) 8 एस सी सी 617; आर. वेंकटकृष्णन बनाम सीबीआई, एआईआर 2010 एससी 1812; और एस.अरुल राजा बनाम टीएन ., (2010) 8 एस सी 233)

6. मोहम्मद अमीन@अमीन चोटेली रहीम मियां शेख और अन्य बनाम. सीबीआई, (2008) 15 एससीसी 49 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस उपबंध के अधीन आने के लिए अभियुक्त के लिए षड्यंत्र के विस्तृत चरणों को जानना आवश्यक नहीं है; इस धारा के लिए षड्यंत्र के मुख्य उद्देश्य/ उद्देश्य का मात्र ज्ञान ही पर्याप्त होगा।

इसी तरह, विक्रम सिंह और अन्य v. पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1007 में, इस न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जहां अभियुक्त ने फोर्टविन इंजेक्शन और क्लोरोफॉर्म खरीदा था। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि इन सामग्रियों की खरीद अपराध करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम था, इसलिए सह-अभियुक्त सोनिया की उपस्थिति, हालांकि वास्तविक अपहरण के समय गवाहों द्वारा संदर्भित नहीं की गई थी, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह साजिश के लिए गोपनीय नहीं थी और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आरोपी की सजा को बरकरार रखा गया था।

7. अभिलेख पर साक्ष्य और विशेष रूप से डॉ. गोपाल प्रसाद सिन्हा (पीडब्लू 7) का निक्षेपण, जिस तरीके से अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त क्रॉसिंग पर मौजूद थे और शिकायतकर्ता और मृतक को रोका था, उस साजिश को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

यह सच है कि विनोद कुमार (आरोपी) और संत कुमार सिन्हा (मृतक) के बीच प्रतिद्वंद्विता और दुर्भावना थी क्योंकि उन्होंने शैक्षणिक संस्थान चलाने के अपने व्यवसाय को अलग कर दिया था और संत कुमार सिन्हा को विनोद कुमार (आरोपी) और शिप्रा सेन चौधरी, क्लर्क के बीच अवैध संबंध पसंद नहीं थे। संत कुमार सिन्हा (मृतक) ने विनोद कुमार (आरोपी) को कथित अवैध संबंध से दूर रहने के लिए मनाने की कोशिश की और संत कुमार सिन्हा (मृतक) ने भी विनोद कुमार (आरोपी) की पत्नी को इस तथ्य का खुलासा किया। विनोद कुमार की पत्नी और शिप्रा सेन चौधरी के बीच न केवल जुबानी लड़ाई हुई, बल्कि इस मुद्दे पर उनके बीच हाथापाई भी हुई और बाद में, विनोद कुमार की पत्नी अलग रहने लगी। इसलिए, विनोद कुमार (आरोपी) और संत कुमार सिन्हा (मृतक) के बीच संबंध निश्चित रूप से तनावपूर्ण थे।

8. ये दोनों अपीलार्थी और अन्य आरोपी विनोद कुमार (आरोपी) के साथ-साथ संत कुमार सिन्हा (मृतक) से परिचित थे और डॉ. गोपाल प्रसाद सिन्हा को भी जानते थे (पी.डब्ल्यू.7). उन्हें पहले संस्थान में विनोद कुमार के साथ देखा गया था (आरोपी).

9. डॉ. गोपाल प्रसाद सिन्हा (पी.डब्ल्यू.7 का साक्ष्य कि एफ. गुलाम सरबर आरोपी याकूब उर्फ अयूब के साथ काले रंग की कावासाकी मोटरसाइकिल पर भाग गया था और उसे घटना स्थल के पास के क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि याकूब सफलतापूर्वक भाग गया था, विश्वास को प्रेरित करता है। प्राथमिकी में अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों के नामों का उल्लेख किया गया था।

इस तरह की तथ्य- स्थिति में, यह उल्लेख नहीं करना कि एफआईआर में गुलाम सरबर को गिरफ्तार किया गया था, कोई महत्व नहीं रखता है। अपराध में प्रयुक्त एल. एम. एल. वेस्पा स्कूटर बी. आर. 17-बी-4455 को स्वतंत्र गवाहों सुनील मंडा की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया। जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था जिस पर दोनों, उक्त पंच गवाहों ने अपने हस्ताक्षर किए।

गुलाम सरबर बनाम बिहार राज्य
(अब झारखंड) [डॉ. बी. एस. चौहान, न्यायाधीश..]

प्रदर्शनी 6-1 के रूप में चिह्नित और जगदीश प्रसाद (पी.डब्ल्यू.8) जांच अधिकारी द्वारा साबित किया गया था। गुलाम सरबर की गिरफ्तारी के संबंध में जगदीश प्रसाद (पी.डब्ल्यू.8) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि वह लगभग 20.05 बजे कांस्टेबल बद्रे आलम के साथ पुलिस स्टेशन के सामने छोटे वाहनों का निरीक्षण कर रहा था। एक काले रंग की कावासाकी मोटरसाइकिल पर दो व्यक्तियों को बहुत तेज गति से बैरियर पार करते देखा। उन्हें रुकने का संकेत दिया गया लेकिन वे नहीं रुके। इसके विपरीत, उन्होंने बैरियर को धक्का दिया और भाग गए, जिस पर जगदीश प्रसाद (पी.डब्ल्यू.8) और कांस्टेबल बद्रे आलम ने उनका पीछा किया। गुलाम सरबर ने बर्तंड पुलिया के पास मोटरसाइकिल से छलांग लगाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नियंत्रित किया गया और पकड़ लिया गया और पूछताछ पर, उसने खुलासा किया कि याकूब वह व्यक्ति था जो मोटरसाइकिल पर भाग गया था। जगदीश प्रसाद (पी.डब्ल्यू.8) आई ओ को गुप्त सूचना मिली कि अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल याकूब के घर में छिपी हुई है। (आरोपी) दो स्वतंत्र गवाहों, मुस्लिम अंसारी और भागीरथ रजाक की उपस्थिति में उनके घर की तलाशी ली गई और वही बरामद किया गया। एक जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था और उक्त दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त जब्ती ज्ञापन को प्रदर्शनी- 6 के रूप में चिह्नित किया गया था और जगदीश प्रसाद (पीडब्लू.8) जांच अधिकारी द्वारा साबित किया गया था।

10. जगदीश प्रसाद (पीडब्लू.8) ने अपदस्थ किया कि उसे अपीलार्थी धीरेन महतो के ठिकाने के बारे में गुप्त सूचना मिली और उसने अन्य पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबल बद्रे आलम के साथ नया बाजार में छापा मारा। हालांकि उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया और एलएमएल वेस्पा स्कूटर बीआर 17-बी-4455 बरामद किया गया। स्कूटर का गिरफ्तारी ज्ञापन और वसूली ज्ञापन स्वतंत्र गवाहों सुनील मंडल और संतोष विक्राल की उपस्थिति में तैयार किया गया था और जब्ती ज्ञापन पर उक्त गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उसी को प्रदर्शनी 6- 1 के रूप में चिह्नित किया गया था और उसके द्वारा साबित किया गया था।

बाद में अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

11. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा न तो किसी भी अपीलार्थी के गिरफ्तारी ज्ञापन के गवाह और न ही अपराध में उपयोग किए गए स्कूटर और मोटर साइकिल की बरामदगी के पंच गवाह से पूछताछ की गई है।

यहां तक कि पुलिस कांस्टेबल बद्रे आलम जगदीश प्रसाद (पी.डब्ल्यू.8) जांच अधिकारी के साथ थे। गुलाम सरबर की गिरफ्तारी के जांच नहीं की गई है। इसलिए अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ वाहनों की बरामदगी का मामला स्वीकार करने योग्य नहीं है और अभियोजन पक्ष का पूरा मामला संदिग्ध हो जाता है।

12. हमें जगदीश प्रसाद (पीडब्लू.8) जांच अधिकारी के पूरे बयान के माध्यम से लिया गया था, हालांकि, उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया था कि उन गवाहों से पूछताछ क्यों नहीं की गई। जगदीश प्रसाद (पीडब्लू**. 8)** जांच अधिकारी के समक्ष इस प्रकार का मुद्दा रखे जाने के अभाव में, अपीलार्थी विचारण के संचालन में अभियोजन द्वारा इस प्रकार की चूक या त्रुटि का कोई लाभ नहीं ले सकते।

13.यह अदालत लक्ष्मीबाई (मृत) माध्यम से एल आर एवं अन्य बनाम. भगवंतबुवा (मृत) माध्यम से. एलआर एवं अन्य, एआईआर 2013 एस. सी. 1204 ने यहाँ उठाए गए मुद्दे पर विचार करते हुए कहाः

"31. इसके अलावा, तय किए गए कानूनी प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है, कि यदि कोई पक्ष किसी गवाह के बयान की शुद्धता के संबंध में कोई संदेह उठाना चाहता है, तो उक्त गवाह को उसके उस हिस्से की ओर अपना ध्यान आकर्षित करके अपने बयान को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिस पर दूसरे पक्ष द्वारा असत्य होने के कारण आपत्ति जताई गई है। इसके बिना उनकी विश्वसनीयता पर महाभियोग लाना संभव नहीं है। ऐसा कानून साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 138 में प्रतिष्ठापित वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया है, जो विरोधी पक्ष को मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा के दौरान उसके द्वारा साक्ष्य में दी गई जानकारी के संबंध में गवाह से जिरह करने में सक्षम बनाता है, और इस प्रावधान का दायरा साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 द्वारा बढ़ाया गया है, जो एक गवाह को उसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए पूछताछ करने की अनुमति देता है। इसके बाद, निर्विरोध उसके साक्ष्य के भाग पर इस कारण से भरोसा किया जाना चाहिए कि साक्षी के लिए उसके संबंध में किसी भी संदेह को समझाना या विस्तृत करना असंभव है, उन परिस्थितियों के संबंध में उसके सामने रखे गए प्रश्नों के अभाव में जो इंगित करते हैं कि उसके द्वारा प्रदान की गई घटनाओं का संस्करण विश्वास करने योग्य नहीं है, और गवाह स्वयं श्रेय के योग्य नहीं है।

गुलाम सरबर
बनाम
बिहार राज्य(अब झारखंड)
[डॉ. बी. एस. चौहान, न्यायाधीश..]

इस प्रकार, यदि कोई पक्ष किसी गवाह पर महाभियोग लाने का इरादा रखता है, तो उसे गवाह बॉक्स में गवाह को पूर्ण और उचित स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। गवाहों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भी यही आवश्यक है।

(यह भी देखें: रविंदर कुमार शर्मा बनाम असम राज्य और अन्य, एआईआर 1999 एससी 3571; घसीटा साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2008 एससी 1425; रोहताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य, जेटी 2013 (8) एससी 181; और ज्ञान चंद और अन्य बनाम. हरियाणा राज्य, जेटी 2013 (10) एससी 515)

14. गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन के मामले में, यह गवाहों की संख्या नहीं है, बल्कि उनके साक्ष्य की गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्ष्य के कानून के तहत यह कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी तथ्य को साबित करने/ गलत साबित करने के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों से पूछताछ की जाए। यह एक समय- सम्मानित सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए। एफ परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सत्य का घेरा है, ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या अन्यथा। कानूनी प्रणाली ने गवाहों की बहुलता या बहुलता के बजाय प्रत्येक गवाह द्वारा प्रदान किए गए मूल्य पर जोर दिया है। यह गुणवत्ता है न कि मात्रा, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की पर्याप्तता को निर्धारित करती है। प्रोबेट मामलों में भी, जहां कानून में कम से कम एक सत्यापित करने वाले गवाह की जांच की आवश्यकता होती है, यह माना गया है कि अधिक गवाहों को पेश करने का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार, दोषसिद्धि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर भी आधारित हो सकती है, यदि वही आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। (वीडियोः वादिवेलु थेवर और अन्य बनाम. मद्रास राज्य; एआईआर 1957 एस सी 614; कुंजू @बालचंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 2008 एस सी 1381; बिपिन कुमार मोंडा/ बनाम.

पश्चिम बंगाल राज्य ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3638; महेश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2011) 9 एससीसी 626; पृथ्वीपाल सिंह और अन्य बनाम. पंजाब राज्य और अन्य, (2012) 1 एससीसी 10; और किशन चंद बनाम हरियाणा राज्य जेटी 2013 (1) एससी 222)

15. यदि अभियोजन पक्ष ने पंचनामा के गवाहों और अपीलार्थियों के गिरफ्तारी ज्ञापनों के गवाहों से पूछताछ नहीं की होती, तो अपीलार्थी अपने बचाव में उनसे पूछताछ कर सकते थे।

16. अभियोजन पक्ष ने अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और जिस तरह से अपराध किया गया है, वह साजिश को स्थापित करता है। धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में अपीलार्थी जिन परिस्थितियों में वे घटना स्थल पर उपस्थित थे, उनका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके अलावा, जिस तरह से वे अपराध के बाद भाग गए, वह स्पष्ट रूप से साजिश रचने के अपराध में उनकी संलिप्तता का संकेत देता है। गोपाल प्रसाद सिन्हा (पीडब्लू.7) की किसी भी अपीलार्थी से कोई दुश्मनी नहीं है। उनके लिए इस तरह के जघन्य अपराध में उन्हें गलत तरीके से शामिल करने का कोई कारण नहीं था।

17. इस प्रकार, निचली अदालत ने साक्ष्य की सराहना करने के बाद घटना स्थल पर अपीलार्थियों की उपस्थिति के साथ-साथ डॉ. गोपाल प्रसाद सिन्हा की उपस्थिति के बारे में तथ्यों के निष्कर्षों को दर्ज किया (पीडब्लू.7). उक्त न्यायाधीश सभी अभियुक्तों और विशेष रूप से अपीलार्थियों से अच्छी तरह से परिचित था।

उसने उन्हें विनोद कुमार (आरोपी) के साथ घटना स्थल पर सभी आरोपियों को इकट्ठा करते देखा था। कुछ अभियुक्त व्यक्तियों, विशेष रूप से गुलाम सरबर की सगाई हो गई और वे एक साथ गुमटी में बैठते थे और वहां चाय पीते थे। बिनोद कुमार (आरोपी) द्वारा एक साजिश रची गई थी क्योंकि संत कुमार सिन्हा (मृतक) ने अपने पारिवारिक जीवन के साथ-साथ अपने व्यवसाय में भी समस्याएं पैदा की थीं क्योंकि मृतक को बिनोद कुमार (आरोपी) और शिप्रा सेन चौधरी के बीच अवैध संबंध पसंद नहीं थे। जिस तरह से अपराध किया गया, ऐसा लगता है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। उस समय अपराध के समय पास की इमारत निरंकारी भवन में पर्याप्त लाइट थी।

गुलाम सरबर

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

[डॉ. बी. एस. चौहान, न्यायाधीश.]

डॉ. गोपाल प्रसाद सिन्हा के बयान में कोई भौतिक विरोधाभास, अलंकरण या सुधार नहीं था (पीडब्लू.7). बचाव पक्ष ने हालांकि तीन गवाहों से पूछताछ की लेकिन उनमें से कोई भी उनके उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं था।

निचली अदालत ने धीरेन महले को ठोस कारण बताते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपों से बरी कर दिया।

18. उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की फिर से सराहना की और निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए कहा कि नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप था और यह साजिश का एक स्पष्ट मामला था।

उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि आम तौर पर साजिश के मामले में अपराध का अपराधी निष्पादन में भाग नहीं लेता है, बल्कि ऐसा साजिशकर्ता अपने द्वारा नियोजित दुष्ट मंसूबों को निष्पादित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराधी को काम पर रखता है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ साजिशकर्ता अपनी पहचान छिपाने के लिए सतर्क रहता है और साजिश के पीछे के वास्तविक उद्देश्य का खुलासा नहीं करता है।

19. इस प्रकार, हम हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपीलार्थियों को फंसाने के लिए गलत तरीके से गवाही दी है।

20. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों के तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलों में योग्यता की कमी है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।